26/6/17 प्रार्थी व पैरोकार सरकार उप./ पत्रा. वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रघुनाथपुरा की आराजी ख.सं. 443/350 रकबा 17 बीघा। किस्म गै.मु. चरड़ा में से नामान्तरकरण सं. 649 दिनांक 30/6/16 से रकबा 3 बीघा भूमि किस्म गै.मु. आबादी ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी। उक्त भूमि को राजस्व नक्शे में उत्तरी पश्चिमी कोने पर दर्ज करना चाहिये था वहां पर तरमीम नही कर उत्तरी पूर्वी कोने में तरमीम कर दी गई जो गलत तरमीम है। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रा.पत्र में वर्णित भूमि में से 3 बीघा भूमि उत्तरी पश्चिमी कोने में गै.मु. आबादी राजस्व नक्शे में तरमीम करने की कृपा करें।

प्रार्थी का प्रा.पत्र दर्ज रजि.कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/पैरो. सरकार ने इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर प्रा.पत्र बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती को स्वीकार करने का निवेदन किया।

पत्रा. का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार की ओर से इकबालिया जवाब प्रस्तुत होने पर प्रार्थी के प्रा.पत्र को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार का विधिक दोष उत्पन्न नही होता है। लिहाजा में प्रार्थी का प्रा.पत्र बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
उपखण्ड अधिकारी तालेडा	कि भूमि ख.सं. 443/350 रकबा 3 बीघा गै.मु. आबादी वाके ग्राम रघुनाथपुरा को राजस्व नक्शे में उत्तरी पश्चिमी कोने पर तरमीम करे। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रा. फैसल कुमार होकर बाद तरमीम दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी तालेडा	